न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पेदन सहायक कलक्टर, मुण्डावर अलवर राज0
पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (RAS)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
149 / 2013	04.06.2013	19.07.2023

//उनवान//

1 रामसिंह पुत्र चन्द्र उर्फ रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर, अलवर। (मृतक)
1/1 सत्यप्रकाश पुत्र स्व. श्री रामसिंह
1/2 सत्यवीर पुत्र स्व. श्री रामसिंह
1/3 निर्मला पुत्री स्व. श्री रामसिंह पत्नि देशराज
1/4 शकुन्तला पुत्री स्व. श्री रामसिंह पत्नि धर्मपाल
1/5 शशवन्ती पुत्री स्व. श्री रामसिंह पत्नि बदलूराम जाति जाटान निवासीयान जाट बहरोड हाल निवासीयान रैणा गिरि (शीतलपुर) तह0 मुण्डावर, अलवर।
2 देवेन्द्र पुत्र चन्द्र उर्फ रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर, अलवर।
3 शशवन्त पुत्र चन्द्र उर्फ रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर, अलवर।

:– वादीगण

बनाम

1 महेन्द्र प्रतापसिंह पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर हाल 928 सी ब्लॉक पालम विहार गुडगांवा हरियाणा।
2 रन्द्रप्रतापसिंह पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर हाल मुढनपुर रोड नदिया पार्क भरतपुर राज0।
3 श्रीमान उपखंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर।
4 राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– असल प्रतिवादीगण

5 छतरपालसिंह पुत्र चन्द्र उर्फ रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– तर0 प्रतिवादीगण

6 कौशल्या पुत्री घासीराम पत्नि सरजीत जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर हाल निवासी मकान नम्बर 537 जी. ग्रेटर कैलाश द्वितीय नई दिल्ली।
7 सुमित्रा पुत्री घासीराम पत्नि भूपेन्द्र जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर हाल आबाद एफ. मदुमार्ग, अलवर।

:– असल प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय दुरस्ती इन्द्राज हु0ई0 दवामी।

उपस्थितिः– 1 श्री लालराम यादव – वकील वादीगण
2 श्री अशोक चौधरी प्रथम – वकील प्रतिवादी सं0 1
3 शोभाराम चौधरी – वकील प्रतिवादी सं0 2

निर्णय

दिनांक– 19.07.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी खसरा नम्बर 604/0.34 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर, अलवर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त खसरा 604 रकबा 0.34 है0 साबिक ख0नं0 445 से पैमूद हुआ है जो वादीगण व तर0 प्रतिवादी के पूर्वजों के कब्जेकाश्त खातेदारी में रहा है एवं उन्हीं के फुट्स पर वादी व तर0 प्रतिवादी काबिज व दखिल है आराजी के अधिकार वादीगण व तर0 प्रतिवादी को जरिये विरासत प्राप्त हुए हैं, आराजी मुतनाजा वादी व तर0 प्रतिवादी की एनसेस्टल आराजी है जिस पर अरसा दराज से ताहाल काबिज एवं दखिल है बेहेसियत खातेदार रहते आ रहे हैं। आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता चन्द्र उर्फ रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान पुत्र रामकरण के नाम खातेदारी के अंकन एवं मौके पर काश्त चली आई है, परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने गैरकानूनी तौर से खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून बिना वादीगण व तर0 प्रतिवादी को सुने उनकी गैर मौजूदगी में राजस्व रिकॉर्ड असल प्रतिवादीगण सं0 1, 2 व 6, 7 के पिता घासीराम का नाम दर्ज कर दिया जबकि मौके पर असल प्रतिवादीगण का आराजी मुतनाजा से कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही पहले कोई राईट व टाईटल प्रतिवादीगण का रहा है। साबिक राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व तर0 प्रतिवादी के पिता रामचन्द्र उर्फ चन्द्र उर्फ चन्द्रभान पुत्रान रामकरण दर्ज होता आया है जबकि रामचन्द्र उर्फ चन्द्र उर्फ चन्द्रभान एक ही व्यकित है। आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड में भू–प्रबन्ध के समय विभाग ने अनावश्यक अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था जबकि भू–प्रबन्ध विभाग ने राजस्व रिकॉर्ड से बिना किसी कारण के पूर्व के खातेदार के राईट व टाईटल गलत रूप से हजफ कर दिए। आराजी मुतनाजा में वादीगण 1 ल0 3 का 3/4 संभाग एवं तर0 प्रतिवादी का 1/4 भाग कब्जेकाश्त खातेदारी का है एवं इसी कदर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। एनसेस्टल आराजी बाबत राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त कराने के अधिकारी है इसलिए वादीगण को 3/4 संभाग एवं तर0 प्रतिवादी को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं असल प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर वादीगण व तर0 प्रतिवादी के नाम का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे आदि–आदि का अंकन करते हुए वाद वादीगण बरखिलाफ असल प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित की जाकर अराजी ख0नं0 604/0.34 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड में मिन वादीगण को 3/4 भाग संभाग का व तर0 प्रतिवादी को 1/4 भाग का कब्जेकाश्त खातेदार घोषित किया जाना व इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर प्रतिवादी सं0 1, 2, 6, 7 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त किये जाने एवं डिक्री हु0ई0 दवामी से असल प्रतिवादीगण को वर्णित आराजी को कही रहन, बय, हिबा इत्यादि प्रकार से मुंतकिल ना करने ना ही वादीगण के काश्तकार्य में मजाहमत पैदा करने के बाबत पाबंद किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 3, 4 अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर वादपत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुए अपने–अपने जवाब दावे पेश किए जिनका सारतः रहा कि आराजी हाल ख0नं0 604 साबिक ख0नं0 445 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा का रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से पैमूद किया गया है तथा जमाबंदी सम्वत् 2006 से सम्वत् 2017

तक साबिक ख0नं0 445 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा मिन प्रतिवादी के बुजुर्गान के नाम निष्फ भाग दर्ज रही है तथा मिन प्रतिवादी के बुजुर्गान ही आराजी पर काबिज रहे है। वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के पुर्वजों का किसी भी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादीगण की पैतृक आराजी नहीं है तथा सैटलमेंट के समय वाद में वर्णित आराजी ब्रिगेडियर घासीराम के नाम सही दर्ज हो गई तथा ब्रिगेडीयर घासीराम के फौत होने पर हम महेन्द्रप्रताप, रामप्रताप पुत्रान व कौशल्य मान उर्फ कैलाश व सुमित्रा पुत्रियान संभाग रूप से काबिजकाश्त है। वादीगण ने मिथ्या तथ्यों पर वाद दायर किया है। जब आराजी मुतनाजा से वादीगण व वादीगण के पूर्वजों का कोई हक व अधिकार ही नहीं रहा है। वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से विवादित आराजी में अपने आपको काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी नहीं है, ना ही मिन प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराने के अधिकारी है आदि–आदि अंकित करते हुए अपने जवाब में जायद अंकित की है जिसके मुताबिक खानदान का सजरा अंकित करते हुए सैटलमेंट के दौराने भू–प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा काबिज अनुसार ही मिन प्रतिवादीगण के पूर्वज ब्रिगेडीयर घासीराम के नाम का अंकन सही दर्ज किया जाना तथा घासीराम के फौत होने पर वारीसान के नाम सही दर्ज होना तथा प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे होना गलत तथ्यों पर आराजी को हड़पने की नीयत से वाद पेश किया जाना जो चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारीज होना आदि–आदि अंकित करते हुए वादीगण का वाद मय हर्जा–खर्चा खारीज किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये–

तनकी नं0 1– आया वादीगण आराजी मुतनाजा पर मुताबिक वादपत्र खातेदारी अधिकार की उद्घोषणा स्वयं के हक में प्राप्त कर तदानुसार प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम दर्ज करा दूरूस्ती कराने के अधिकारी है।

:– जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 2– आया वादीगण आराजी मुतनाजा पर उक्तानुसार विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक वादपत्र प्राप्त कर प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के अधिकारी है। **:– जिम्मे वादीगण**

तनकी नं0 3– आया वादीगण द्वारा वाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, वादपत्र चलने योगय नहीं है, वादपत्र काबिल खारीज है। **:– जिम्मे प्रतिवादीगण**

तनकी नं0 4– आया वादीगण द्वारा मृतक ब्रिगेडीयर घासीराम के समस्त पक्षकारान को वादपत्र में पक्षकारान नहीं बनाया, अतः वादीगण का वाद सक्षम पक्षकारान के अभाव में काबिल खारीज है।

:– जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 5– आया वादीगण को वादपत्र में अंकित दिनांक से कोई वाद हेतु पैदा नहीं होती वादपत्र मियाद बाहर होकर काबिल खारीज है। **:– जिम्मे प्रतिवादीगण**

तनकी नं0 6 – अन्य दादरसी।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2013–2016 किता–3 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2017 किता–2 प्रदर्श–5, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018–2021 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2021 किता–2 प्रदर्श–7 एवं मूल शपथपत्र ब्रिगेडीयर घासीराम पुत्र रामस्वरूप दिनांक 23.07.1998 प्रदर्श–8 पेश किए एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र रामसिंह पीडब्ल्यू–1, देवेन्द्र पीडब्ल्यू–2, सत्यप्रकाश पीडब्ल्यू–3, यशवन्त पीडब्ल्यू–4 एवं श्योनारायण पीडब्ल्यू–5 पेश किए जो बाद जिरह शामिल पत्रावली है।

ठीक इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावों के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 प्रदर्श डी–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 प्रदर्श डी–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2008–2009 किता–2 प्रदर्श डी–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2013 प्रदर्श डी–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2017 प्रदर्श डी–5, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श डी–6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2021 प्रदर्श डी–7 पेश

किए एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र महेन्द्रप्रताप डीडब्ल्यू–1, पुष्पेन्द्र डीडब्ल्यू–2, रूपेन्द्र डीडब्ल्यू–30 पेश किए जो बाद जिरह शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से लिखित बहस पेश की गई। मुताबिक प्रस्तुत लिखित बहस वकील वादीगण ने अंकित किया है कि ख0नं0 604/0.34 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तह0 मुण्डावर में स्थित होकर साबिक ख0नं0 444, 445 से बना है। विवादित आराजी हमारे पूर्वजों की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जिनकी फौतगी के बाद अब हम वादीगण व तर0 प्रतिवादी काबिजकाश्त आराजी है। आराजी साबिक रिकॉर्ड यथा जमाबंदी सम्वत् 2013, 2016, 2018 व 2029 से पूर्व हमारे दादा व पिता चन्द्र उर्फ रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान पुत्र रामकरण के नाम का अंकन रहा है। नकल जमाबंदीयात पेश होकर शामिल पत्रावली है। मौजूदा रिकॉर्ड में बिना किसी कारण के ये आराजी घासीराम पुत्र रामस्वरूप के नाम कर दी जो खिलाफ रिकॉर्ड व खिलाफ कानून व खिलाफ मौका होकर सरासर गलत है जिसकी जानकारी दिनांक 20.04.2014 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जाने पर हल्का पटवारी से हुई। घासीराम भारतीय सेना में था बाद में सेवानिवृत होकर आया जिस पर उनसे बात की तो उन्होंने अपने जीवनकाल में 1 शपथपत्र दिनांक 23.07.1998 को हमारे पिता को लिखवाकर व स्वयं के भाई सूरजभान जो सेवानिवृत एडीशनल एसपी व मेजर महेन्द्रप्रताप के बतौर गवाही कर नोटेरी से तस्दीक करवाकर दे दिया। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि इस आराजी से मेरा कोई लेना–देना नहीं है ना ही मेरा कब्जाकाश्त है और ना ही पूर्व में रही है। यह आराजी चन्द्र पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी जाट बहरोड की है एवं उसी की कब्जाकाश्त रही है, चूंकि चन्द्र का देहांत हो गया है। सम्वत् 2029 में बन्दोबस्त विभाग ने मेरी खातेदारी में गलत दर्ज कर दिया। मेरे नाम का कलमजन कर इसके बजाय आराजी पर चन्द्र के वारीसान का नाम दर्ज कर दिया जावे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके वारीस रामसिह, देवेन्द्र व छतरपाल काबिज है। उक्त शपथ पत्र शामिल पत्रावली है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 ल0 8 दस्तावेज पेश किए है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र रामसिंह पीडब्ल्यू–1, देवेन्द्र पीडब्ल्यू–2, सत्यप्रकाश पीडब्ल्यू–3, यशवन्त पीडब्ल्यू–4 एवं श्योनारायण पीडब्ल्यू–5 पेश किए अंकित करते हुए दौराने जिरह साक्ष्य प्रतिवादी डीडब्ल्यू–1 महेन्द्रप्रताप आराजी को पुष्पेन्द्र जोतना बताता है। पुष्पेन्द्र प्रतिवादीगण की काबिजकाश्त बताता है तथा क्रॉस में कहता है कि बटाई पर देते रहे हैं बटाईदार करने वाले का नाम मालूम नहीं। डीडब्ल्यू–3 रूपेन्द्र कहता है कि बंटवारा हुआ जब घासीराम के हिस्से में आई थी, लेकिन बंटवारे का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ। इस प्रकार सारे गवाह प्रतिवादी विरोधाभाषी बयान करते हैं एवं ऐसा कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया जो यह साबित करता हो कि आराजी घासीराम के हिस्से में आई। घासीराम स्वयं प्रमाणित श्शपथपत्र द्वारा वादीगण की आराजी बताता है कि यह जमीन चन्द्र की है गलती से मेरे नाम कर दी है। चन्द्र ही काश्त करता रहा है इसलिए इसी के नाम कर दी जावे मुझे कोई एतराज नहीं है जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकार से वादीगण ने अपने वादपत्र को पूर्णरूप से साबित कर दिया है।

ठीक इसी प्रकार मुताबिक प्रस्तुत लिखित बहस वकील प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि वादी ने अपने वादपत्र में साबिक ख0नं0 445 से हाल खसरा नम्बर बना हुआ बताया है जो गलत है, हाल ख0नं0 604 साबिक ख0नं0 444 व 445 से बना है तथा प्रतिवादीगण के बुजुर्ग औमकार पुत्र रामस्वरूप के नाम जमाबंदी सम्वत् 2006 से 2017 तक 1/2 भाग गैर खातेदारी में दर्ज रहा है तथा 1/2 भाग वादीगण के नाम दर्ज रहा तथा सम्वत् 2015 से 2017 में ओमकार पुत्र रामस्वरूप के नाम संपूर्ण काश्त दर्ज रही ओमकार व घासीराम दोनों सगे भाई है। सैटलमेंट के दौराने दोनों भाईयों का बहामी बंटवारा हुआ जिसके अनुसार उक्त ख0नं0 घासीराम के हिस्से आई थी आदि–आदि अंकित करते हुए वादीगण का वाद मय हर्जा–खर्चा खारीज फरमाया जावे का अंकन रहा है।

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार रहा–

तनकी नं0 1– आया वादीगण आराजी मुतनाजा पर मुताबिक वादपत्र खातेदारी अधिकार की उदघोषणा स्वयं के हक में प्राप्त कर तदानुसार प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम दर्ज करा दूरूस्ती कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है। वादपत्र की ताईद में वादीगण द्वारा प्रदर्श–1 ल0 8 पेश किए है जिनमें से अन्य दस्तावेजात के साथ–साथ प्रदर्श–6 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2021 में साबिक ख0नं0 445 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म मटियार बारानी चन्द्र वल्द रामकरण निष्फ ओमकार पुत्र रामस्वरूप निष्फ जाट साकिनदेह मालिक का अंकन है तथा चन्द्र वादीगण के पिता/दादा रहे हैं एवं मुताबिक प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी सम्वत् 2021 में भी साबिक ख0नं0 445 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के बाबत ओमकार पुत्र रामस्वरूप, चन्द्र पुत्र रामकरण जाट साकिनदेह संभाग गैर खातेदार का अंकन दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रदर्श–2 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 के साबिक ख0नं0 444 रकबा 2 बीस्वा एवं ख0नं0 445 मिन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से हाल ख0नं0 604 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा पैमूद होना अंकित है एवं मुताबिक प्रस्तुत प्रदर्श–8 मूल शपथपत्र ब्रिगेडीयर घासीराम पुत्र रामस्वरूप दिनांक 23.07.1998 असल प्रतिवादीगण के पिता द्वारा उक्त शपथपत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि साबिक खसरा नम्बर 444 रकबा 2 बिस्वा, 445 मिन रकबा 1 बीघा बिस्वा जिनका हाल ख0नं0 604 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कायम हुए हैं जो वाके ग्राम जाट बहरोड तह0 मुण्डावर के है इस आराजी से मेरा कोई वास्ता नहीं है ना ही आराजी पर मेरा कभी कोई कब्जाकाश्त रहा है, मैं हल्फ से बयान करता हूं कि उपरोक्त आराजी चन्द्र पुत्र श्री रामकरण जाति जाट निवासी जाट बहरोड की कब्जेकाश्त खातेदारी की है और इस आराजी पर चन्द्र की वारिसों का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है चूंकि चन्द्र का देहांत हो चुका है इसलिए अब उसके वारीस रामसिंह, देवेन्द्र, छतरपालसिंह, यशवन्तसिंह पि0 चन्द्र काबिज है। मैं हल्फ से बयान करता हूं कि बंदोबस्त हाल सम्वत् 2029 में इस आराजी को मेरी खातेदारी में गलत प्रकार से दर्ज कर दिया गया जो बंदोबस्त विभाग ने गलती से दर्ज किया है वरना मेरा इस आराजी पर कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा ना है। मैं हल्फ से बयान करता हूं कि कागजात माल में से मेरे नाम का इन्द्राज कलमजन करके उसके बजाय इस अराजी को चन्द्र के वारीसान की कब्जेकाश्त खातेदारी में दर्ज कर दिये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस आराजी से मेरा व मेरे वारीसान का कोई वास्ता नहीं रहेगा। इस प्रकार से वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से पूर्ण रूप से साबित कर दिए जाने की स्थिति में इस तनकी को यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाते हुए बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

तनकी नं0 2– आया वादीगण आराजी मुतनाजा पर उक्तानुसार विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक वादपत्र प्राप्त कर प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के अधिकारी है। इस तनकी को भी साबित करने का भार जिम्मेवादीगण रहा है और जब तनकी सं0 1 बहक वादीगण पूर्ण रूप से साबित पाई जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

तनकी नं0 3– आया वादीगण द्वारा वाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, वादपत्र चलने योगय नहीं है, वादपत्र काबिल खारीज है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादीगण रहा है और तनकी सं0 1 व 2 स्पष्ट रूप से बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहक वादीगण पाई जाने की स्थिति में इस तनकी को यह न्यायालय बहक वादीगण पाते हुए बरखिलाफ प्रतिवादीगण खारीज योग्य पाता है।

तनकी नं0 4– आया वादीगण द्वारा मृतक ब्रिगेडीयर घासीराम के समस्त पक्षकारान को वादपत्र में पक्षकारान नहीं बनाया, अतः वादीगण का वाद सक्षम पक्षकारान के अभाव में काबिल खारीज है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादीगण रहा है एवं प्रकरण की दौराने सुनवाई मृतक घासीराम के शेष समस्त वारीसान को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत

हो जाने की स्थिति में एवं तनकी सं0 1 ल0 3 बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादीगण खारीज योग्य पाता है।

तनकी नं0 5– आया वादीगण को वादपत्र में अंकित दिनांक से कोई वाद हेतु पैदा नहीं होती वादपत्र मियाद बाहर होकर काबिल खारीज है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादीगण रहा है और जब तकनी सं0 1 ल0 4 बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाते हुए बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादीगण खारीज योग्य पाता है।

तनकी नं0 6 – अन्य दादरसी।

अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाए जाने की स्थिति में आराजी ख0नं0 604/0.34 है0 हाल ख0नं0 793/0.34 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1, 2, 6, 7 के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किए जाने के आदेश दिए जाते है एवं उनके स्थान पर वादीगण 1/1 ल0 1/5 को संभाग में 1/4 भाग के एवं वादी सं0 2 व 3 को संभाग में 1/2 भाग के एवं तर0 प्रतिवादी सं0 5 को 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाता है उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश दिए जाते हैं एवं असल प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजीयात के बाबत उनके नाम के चले आ रहे गलत अंकन के आधार पर आराजी को कही रहन, बय, हिबा इत्यादि से मुंतकिल ना करे ना ही वादीगण व तर0 प्रतिवादी के काश्तकार्य में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **19.07.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

19-07-2023

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पेदन सहायक कलक्टर, मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (RAS)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
149/2013	04.06.2013	19.07.2023

//उनवान//

1 रामसिंह पुत्र चन्द्र उर्फ रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर, अलवर। (मृतक)
1/1 सत्यप्रकाश पुत्र स्व. श्री रामसिंह
1/2 सत्यवीर पुत्र स्व. श्री रामसिंह
1/3 निर्मला पुत्री स्व. श्री रामसिंह पत्नि देशराज
1/4 शकुन्तला पुत्री स्व. श्री रामसिंह पत्नि धर्मपाल
1/5 यशवन्ती पुत्री स्व. श्री रामसिंह पत्नि बदलूराम जाति जाटान निवासीयान जाट बहरोड हाल निवासीयान रैणा गिरि (शीतलपुर) तह0 मुण्डावर, अलवर।
2 देवेन्द्र पुत्र चन्द्र उर्फ रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर, अलवर।
3 यशवन्त पुत्र चन्द्र उर्फ रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर, अलवर।

:– वादीगण

बनाम

1 महेन्द्र प्रतापसिंह पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर हाल 928 सी ब्लॉक पालम विहार गुडगांवा हरियाणा।
2 रामप्रतापसिंह पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर हाल मुढनपुर रोड नदिया मार्फ भरतपुर राज0।
3 श्रीमान उपपंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर।
4 राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– असल प्रतिवादीगण

5 छतरपालसिंह पुत्र चन्द्र उर्फ रामचन्द्र उर्फ चन्द्रभान जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर, अलवर।

:– तर0 प्रतिवादीगण

6 कौशल्या पुत्री घासीराम पत्नि सरजीत जाति जाट निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर हाल निवासी मकान नम्बर 537 जी. ग्रेटर कैलाश द्वितीय नई दिल्ली।
7 सुमित्रा पुत्री घासीराम पत्नि भूपेन्द्र जाति जाट निवासी जाट बहरोड तहसील मुण्डावर हाल आबाद एफ. मनुमार्ग, अलवर।

:– असल प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय दुरस्ती इन्द्राज हु0ई0 दवामी।

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री लालाराम यादव एवं श्री अशोक चौधरी प्रथम व श्री शोभाराम चौधरी वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.07.2023 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादीगण के आराजी ख0नं0 604/0.34 है0 हाल ख0नं0 793/0.34 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1, 2, 6, 7 के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किए जाने के आदेश दिए जाते है एवं उनके स्थान पर वादीगण 1/1 ल0 1/5 को संभाग में 1/4 भाग के एवं वादी सं0 2 व 3 को संभाग में 1/2 भाग के एवं तर0 प्रतिवादी सं0 5 को 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाता है उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश दिए जाते हैं एवं असल प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजीयात के बाबत उनके नाम के चले आ रहे गलत अंकन के आधार पर आराजी को कही रहन, बय, हिबा इत्यादि से मुंतकिल ना करे ना ही वादीगण व तर0 प्रतिवादी के काश्तकार्य में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 19.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

19-07-2023

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0